दिनाक 20.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–20/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आगरा/थाना छत्ता

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 80 हजार 500 रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना छत्ता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीवनी मण्डी के पास चेंकिग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोका गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी रामकुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 01 अभियुक्त हरिओम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 लाख 80 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। पूछताॅछ/निशादेही पर 02 अन्य अभियुक्तों 2–सुरेश 3–पप्पू को भी गिरफ्तार किया गया। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हरिओम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा, जनपद इटावा के विभिन्न थानो में लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनाॅकः 13.02.2021 को पीपलमण्डी क्षेत्र

में एक व्यक्ति गोली मारने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छत्ता पर अभियोग पंजीकृत है। पूछतॉछ से गिरफ्तार अभियुक्त हरिओम द्वारा उक्त घटना की सुपारी गिरफ्तार अभियुक्तों सुरेश व पप्पू द्वारा दिया जाना बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद 01 लाख 31 हजार 500 रूपये थाना इरादतनगर क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना व 49 हजार रूपये थाना छत्ता क्षेत्र में गोली मारने की घटना में ली गयी सुपारी से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना छत्ता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरिओम निवासी सिरोली रोड धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा।

2–सुरेश निवासी सिरोली रोड धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा।

3–पप्पू निवासी सिरोली रोड धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1–01 लाख 80 हजार 500 रूपये नगद,

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद बदायूं/थाना उझानी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **चोरी के 03 लाख रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र उझानी से 04 अभियुक्तों 1–अजीत उर्फ बउआ 2–प्रद्युम्न 3–प्रदीप कुमार 4–विवेक

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 लाख रूपये नगद , 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 16.02.2021 को अज्ञात चोरों द्वारा थाना उझानी क्षेत्र से रूपये से भरा बैग चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना उझानी पर मु0अ0सं0—62/2021 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजीत उर्फ बउआ निवासी ग्राम बोंदरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

2—प्रद्युम्न निवासी निवासी ग्राम बोंदरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

3—प्रदीप कुमार निवासी निवासी ग्राम बोंदरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

4—विवेक निवासी सकुटिया थाना उझानी जनपद बदायूं।

बरामदगीः—

1—चोरी के 03 लाख रूपये नगद ,

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना ठाकुरगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 29 हजार 770 रूपये नगद,**
- **सोने—चॉदी के आभूषण बरामद**

दिनांक 20.02.2021 को थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंसल भट्टा रिंग रोड से अभियुक्त रेहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त

के कब्जे से चोरी के 01 लाख 27 हजार 770 रूपये नगद व सोने चॉदी के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटनायें कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0—746/2020 एवं 08/2021 अन्तर्गत धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद रूपये उक्त घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

रेहान निवासी हज्जी टोला खिन्नी चौराहा कैम्पवेल रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

बरामदगीः—

1—चोरी के 01 लाख 27 हजार 770 रूपये नगद

2—सोने चॉदी के आभूषण।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कटरा

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,**
- **लगभग 25 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 590 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 19.02.2021 की सायं थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कटरा हाईवे रोड लाल पेट्रोल पम्प के पास से 01 मादक पदार्थ तस्कर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 25 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 590 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

सुशील कुमार निवासी गुरगवा थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगीः–</u>

लगभग 25 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 590 ग्राम अवैध अफीम।

<u>जनपद बलिया/थाना रसड़ा</u>

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.02.2021 की रात्रि थाना रसड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंगही चट्टी से पहले नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त छोटूराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलिया व मऊ के विभिन्न थानों में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–222/2020 धारा 392/242/458/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

छोटूराम निवासी बस्ती थाना रामपुर जनपद मऊ।

बरामदगीः—

01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद झाँसी/थाना नवाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के 30 हजार रूपये नगद,**
- **02 आधार कार्ड,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.02.2021 की रात्रि थाना नवाबाद व थाना सदरबाजार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भगवन्तपुरा से दिगारा बाईपास पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेरा बन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही के दौरान शातिर अभियुक्त जयन्त प्रताप घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 30 हजार रूपये नगद, 02 आधार कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जालौन व जनपद झाँसी के विभिन्न थानों में चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 03—02—2021 को थाना क्षेत्र नवाबाद में अज्ञात चोरो द्वारा मोटर साइकिल से रूपयो का बैग की चोरी एवं दिनॉकः 16.02.2021 को थाना सदरबाजार क्षेत्र में स्कूटी डिग्गी से रूपये एवं कागजात चोरी की घटना कारित की

गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद रूपये व कागजात उक्त घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

जयन्त प्रताप निवासी ग्राम कोठी थाना अजीतमल जनपद औरैया

बरामदगीः–

1–चोरी के 30 हजार रूपये नगद,

2–02 आधार कार्ड,

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस

4– 01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना लवेदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी/120बी/302 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट में अभियुक्त प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद खीरी/थाना धौरहरा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 05 लाख रूपये से अधिक कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद खीरी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी मिश्रीलाल, शोभित एवं रोहित द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख 33 हजार 555 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद सीतापुर/थाना थानगॉव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष सश्रम कारावास 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी जनपद सीतापुर द्वारा थाना थानगॉव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी0पी0एक्ट में अभियुक्तों 1—केशवराम 2—श्रीमती शान्ति देवी पत्नी केशवराम को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———